

9

न्यायालय श्रीमान् सम आदरणीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प उज्जैन.

प्रकरण क्रमांक- /निगरानी/2017

PBR/निगरानी/नीमच/भूरा/2017/4428

आवेदक श्री कै. लाला प्रसाद,
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 23-10-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

राधेश्याम पिता मॉंगीलाल धाकड,
आयु 70 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी
ग्राम गुजरखेडी तालाब, तहसील
जावद, जिला नीमच आवेदक
विरुद्ध


मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी
मोजा गुजरखेडी तालाब, तहसील
जावद जिला नीमच..... अनावेदक

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जावद
के प्रकरण क्रमांक 109/ए-68/2016-17 में
पारित आदेश दिनांक 7.10.2017 से असंतुष्ट
एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र
अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के
अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2017/4428

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-10-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा संलग्न दस्तावेज के अनुसार मूल प्रकरण अतिक्रमण का होना मानकर राजस्व निरीक्षक के कथन अनिवार्य नहीं होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>